

कोर्ट फीस स्टाम्प
1 रुपया

जे-20

शस्त्रादि डीलर अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण हेतु आवेदन

प्रेषकः—फर्म का नाम

प्रेषितः—जिला मेजिस्ट्रेट जयपुर

महोदय,

निवेदन है कि मुझे निम्नानुसार शस्त्र डीलर अनुज्ञा पत्र जारी है।

डीलर को जारी अनुज्ञापत्र प्रपत्र संख्या	स्वीकृत अनुज्ञापत्र संख्या	कब तक नवीनीकृत है
प्रपत्र 9		
प्रपत्र 11		
प्रपत्र 12		
प्रपत्र 13		
प्रपत्र 14		

इन अनुज्ञा पत्रों का वर्ष के लिए नवीनीकरण करने का अम करें।

मूल अनुज्ञा पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर

प्रबन्धक / मालिक / साझेदार

कार्यालय कार्यवाही

मैसर्स को जारी अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण से पूर्व फर्म के व्यावसायिक स्थल की एवं संधारित रिकार्ड की जांच हेतु उपजिला मजिस्ट्रेट को पत्र प्रेषित है।

लिपिक

शास्त्रा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी

उप जिला मेजिस्ट्रेट की रिपोर्ट

1	लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस की शर्तों की पूर्ण पालना की जा रही है।	हों/नहीं
2	लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस से संबंधित व्यवसाय का नियमानुसार रिकार्ड संधारित किया जा रहा है।	हों/नहीं
3	लाईसेंस में अंकित मात्रा के अनुसार शस्त्रादि रखे व बेचे जाते हैं।	हों/नहीं
4	अग्नि संबंधि यंत्र रखा गया है चालू हालत में है। वैधता अवधि	हों/नहीं
5	निरीक्षण के दिनांक का स्टॉक (शस्त्रों का विवरण संलग्न करें)	
6	शस्त्रादि नियमानुसार टी.एल./एन.ओ.सी. प्राप्त करके ही कथ विक्रय किये जाते हैं।	हों/नहीं
7	अनुज्ञा पत्र स्थल सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है।	हों/नहीं
8	आवेदक का जारी अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जा सकता है।	हों/नहीं
9	अन्य कोई सुझाव हो तो अंकित करें।	
10	यदि अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है तो कारण अंकित करें।	

हस्ताक्षर उपजिला

मजिस्ट्रेट

कार्यालय कार्यवाही

उपजिला मजिस्ट्रेट.....ने अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण में काई आपत्ति नहीं की है अतः अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु अभिशंसा सहित गृह विभाग राजस्थान, जयपुर को भिजवाना उचित होगा।

लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी

जिला मजिस्ट्रेट

स्वच्छ पत्र हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी